रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73
REGISTERED No. D.(D) 73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 1976/पौष 13, 1897
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 1976/PAUSA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 1.—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार के परामर्श भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 में और आगे संशोधन ने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) वां नियम 1975 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 को संलग्न ी III में "क राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद" शीर्षक के नीचे "बिहार" के निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जायें।

निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, रांची रु० 2500-125/2-2750।

3. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की संलग्न अनुसूची III में ख "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पद जिनके अन्तर्गत समय वेतन मान मे वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं" शीर्षक के नीचे "बिहार" प्रविष्टि के सामने कालम दो में उल्लिखित "निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, रांची" प्रविष्टि हटा दी जाये।

[संख्या 11031/25/75-अ०भा०से०(2)]

ए० के० गुप्ता, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 26th November, 1975

G.S.R. 1.—In exercise of the powers conferred by ... (1) of Section 3 of the All-India Services Act, ... read with rule 11, of the Indian Adminis- ... Rules, 1954, the Central Government, ... the Government of Bihar hereby makes

India [Professor (Research), Photogrammetry] Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Survey of India [Professor (Research),), Photogrammetry] Recruitment Amendment Rules, 1975,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Survey of India [Professor (Research), Photogrammetry Recruitment Rules 1975 in column 7 for the figure and words "7 years' experience", the figure and words "5 years' experience" shall be substituted.

[F. No. 25-58/73-Sur. I]

T. L. VISWANATHAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 28.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव) भर्ती नियमावली, 1974 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव) भर्ती नियमावली, 1974 की अनुसूची में, कालम 12 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि की मद (1) में, "जूनियर पुस्तकाध्यक्ष तथा उद्घोषक" शब्दों के बाद "तथा भूतपूर्व एमिसोर-डी-गोआ राज्य के के उद्घोषक" शब्द अन्तरस्थापित किए जायेंगे।

[संख्या 1/2/74-बी (ए)]

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 6th November, 1975

G.S.R. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Transmission Executives) Recruitment Rules, 1974, namely :—

(1) These rules may be called the All India Radio (Transmission Executives) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Transmission Executives) Recruitment Rules, 1974, in item (i) of the existing entry" in column 12, after the words Federal Financial Integration" the words "and ex-State Announces of Emissora-de-Goa" shall be inserted.

[No. 1/2/74-B(A)]

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 29.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में;

(क) नियम 3 के परन्तुक का खंड (1) लुप्त किया जायेगा।

(ख) नियम 6 के बाद, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"7 अपवाद: इन नियमों की किसी बात का इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) अनुसूची में क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
17 लाइब्रेरी अटेंडेंट		सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-4 अराजपत्रित	210-4-250-द० रो०-5-270 रुपये (संशोधित)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	लागू नहीं होता	उन स्टूडियो अटेंडेंटों में से जिनकी ग्रेड में दो वर्ष की सेवा हो, ऐसा न हो सकने पर उन रिकार्ड सार्टरों, दफ्तरियों, दफ्तरी-व गेस्टेटनर आपरेटरों और स्टूडियो गार्डों में से जिनकी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो, इन दोनों के न हो सकने पर उन चपरासियों में से जिनकी ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा हो। नोट: वरीयता की गणना ग्रेड में लगातार नियमित नियुक्ति की तारीख से की जायेगी।

[संख्या 1/17/73-बी० (ए०)]
आर० के० खट्टर, अवर सचिव

New Delhi, the 13th November, 1975

G.S.R. 29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964.

(a) Clause (1) of the proviso to rule 3, shall be ommitted ;

(b) after rule 6, of the following rule shall be inserted, namely :

"7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance from time to time in the regard."

(c) In the Schedule, after serial Number 16 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
17.	Library Attendant	General Central Service Class IV Non-Gazetted.	Rs. 210-4-250-EB-5-270 (Revised)	Not applicable	Not applicable	100% by Promotion.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years.	Not applicable	From among Studio Attendants with Two years' service in the grade failing which from Record Sorters Daftries, Daftry-cum gestetner operator and Studio Guards with 3 years' service in the grade failing both from amongst poons with 4 years' service in the grade. Note.—Seniority will be reckoned from the date of continuance regular appointment in the grade."

[No. 1/17/73-B(A)]
R. K. KHATTAR, Under Secy.